(ख) यदि हां, तो ताप तथा जल क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं की संख्या कितनी-कितनी थी और इन परियोजना की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में अब भारी वृद्धि हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजना की निर्माण लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है; और

(ङ) ये परियोजनायें कब तक पूरी कर लेने का निश्चय है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत की उत्पादन लागत

1620. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्तमान में ताप तथा जल क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता की उत्पादन लागत का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो नवीनतम आंकलन के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन लागत कितनी-कितनी है;

(घ) देश में ताप तथा जल क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की लागत का औसत मूल्य कितना-कितना आंका गया है; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में कुल उत्पादन का कितना-कितना प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया गया?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जल विद्युत और ताप विद्युत केन्द्रों से वृहद् मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय संयंत्रों और गैर-परम्परागत स्त्रोतों के जरिए भी विद्युत का उत्पादन होता है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार मानदंडों और विनियम दरों पर 12% छूट दर की दर से स्तरीकृत टैरिफ और 68.49 संयंत्र भार अनुपात में ताप विद्युत प्रस्तावों के लिए 1.98 रु०/कि० वा० प्रति घंटा से 3.61 रु०/कि० वा० प्रति घंटा और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 1.31/कि० वा० घं० से, 3.51 रु०/कि० वा० प्रति घंटा का अंतर है।

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान 420.62 बिलियन यूनिट के कुल ऊर्जा उत्पादन में से ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत केन्द्रों के लिए ऊर्जा का योगदान क्रमशः 336.10 बिलियन यूनिट (79.9%), 74.48 बिलियन यूनिट (17.7%) और 10.04 बिलियन यूनिट (2.4%) है।

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

1621. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन उस क्षेत्र में विद्युत की मांग से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और विद्युत उत्पादन तथा इस क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकता की मात्रा कितनी-कितनी होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में स्थानीय मांग को पूरा करने के पश्चात् अतिरिक्त विद्युत को विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विद्युत की कमी वाले किन-किन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचायी गयी और इस अवधि के दौरान उनमें वर्ष-वार कितनी-कितनी विद्युत आपूर्ति की गयी?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन मांग से अधिक है जिसे विशेषतः दिन के गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान पूरा किया जा सकता है।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष विद्युत समय-समय पर मशीनों की उपलब्धता और मांग के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। क्षेत्र से बाहर 600-650 मे० वा० विद्युत का निर्यात करने तथा ताप विद्युत स्टेशनों को बंद करने के पश्चात् उपलब्ध अधिशेष विद्युत औसतन आधार पर लगभग 300 मे० वा० रही है। कमी का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों में तथा बिहार के गंगा के उत्तर में पारेषण एवं वितरण संबंधी बाधाओं के कारण विद्युत की आपूर्ति न किया जाना रहा है। तथापि, इसे दृष्टिगत रखते हुए पूर्वी क्षेत्र से

पड़ोसी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंकों की क्षमता के अनुरूप अधिकतम स्तर पर बनी रहेगी।

(ग) और (घ) पूर्वी क्षेत्र से कमी वाले पड़ोसी क्षेत्रों अर्थात् उत्तर-पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत की पहले से ही आपूर्ति की जा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में विद्युत निर्यात और निकासी का ब्यौरा निम्नवत है:—

(सभी आंकड़े मि॰ यू॰ में)

क्षेत्र/राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
पश्चिमी क्षेत्र			
दमन एवं दीव			
दादरा और नगर हवेली	—	—	87.5
गुजरात	—	—	208.2
मध्य प्रदेश	—	—	904.3
दक्षिणी क्षेत्र			
आ॰ प्र॰	581.5	301.0	668.6
केरल	—	—	151.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	0.4	—	—
असम	215.6	289.9	454.4
मणिपुर	67.7	82.4	—
मिजोरम	1.9	5.5	—
नगालैंड	1.2	4.7	—
त्रिपुरा	12.8	0.8	—
जोड़:	881.1	684.3	2474.6

World Bank Report on Power Projects

1622. SHRI RAJ NATH SINGH:
PROF. RAM KAPSE:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a newsitem captioned "World Bank Report critical of India's Power Project" appeared in the Times of India, Bombay dated the 8th January, 1998; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) In April, 1997, some inhabitants of the Singrauli project area of National Thermal Power Corporation (NTPC) filed a complaint with the Inspection Panel of the World Bank at Washington alleging violation by the Bank of its policies and procedures on environment and Rehabilitation and Resettlement (R&R) of displaced persons of NTPC projects in this region. The World Bank Board, after going through the facts, decided that an investigation should be conducted at the Bank's headquarters in Washington to determine the extent to which the bank adhered to its own policies and procedures under NTPC Power Generation Project. The Bank Management has prepared an Action Plan with NTPC to improve the implementation and supervision of the R&R and environmental aspects of the projects. This Action Plan was prepared after several visits to the project area that included consultation with the affected persons, local Non-Governmental Organisations (NGOs), Government agencies and the World Bank. Under this programme, a Social Impact Assessment (SIA) study has been carried out with the objective of assessing the extent to which Project Affected Persons (PAPs) have been rehabilitated as per R&R policy of NTPC. The study has since been completed and an Action Plan has been drawn up to address the issue of R&R of PAPs.

In addition, an Independent Monitoring Panel (IMP) comprising, three eminent members with an Non-Governmental Organisation (NGO), a Social Development Expert and a senior advocate of the Supreme Court of India as Chairperson has been constituted in November, 1997 to monitor and review the R&R programme. The IMP is visiting and is also interacting with the people at the project site.

Based on the satisfactory progress on the Action Plan in March, 1998, the World Bank has extended the loan closing date upto September, 1998.